फर्द अहकाम

न्यायालय उपजिलाधिकारी जलालाबाद

मौखराम बनाम लालीदेवी

मुकदमा संख्या/वर्ष : 54/2017

क्र0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/8/17	अधिवक्ता पेश हुए, अधिवक्ता संघ द्वारा कन्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/9/17 पेश हो।	
	5/9/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा निगरानी की गई। वकील उभय पक्षों के मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासीम करने हेतु अपनी अपनी सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0सं0 काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाद को मुताबिक कुर्रेजात तकासीम किया जाकर दिखाया बंटवारा हेतु निर्णय किया जाता है। पत्रावली के विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता	

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

भैरूराम — बनाम — [illegible]

मुकदमा संख्या/वर्ष : 54/2017

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		निर्णय पत्रावली में शामिल नहीं [illegible] उपलब्ध नहीं पत्रावली की तलाश करवाई [illegible] [illegible] में [illegible] है तथा [illegible] [illegible] [illegible] हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. /2017 | तारीख दायर 03/04/2017 | तारीख फैसला 05/09/2024

भैरूराम पुत्र गंगाराम आयु 59 वर्ष जाति मीणा निवासी छापरवाली ढाणी ग्राम पालडी मीणा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

मालीदेवी पत्नि छोटूराम आयु 53 वर्ष जाति मीणा निवासी छापरवाली ढाणी, ग्राम पालडी मीणा, आगरा रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
राजेश कुमार पारीक :— वकील वादी
रमाशंकर शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कथन के साथ पेश किया कि ग्राम रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 0.12है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.49है0, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.33है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.35है0 भूमि है। जो वादग्रस्त भूमि है। जिसमें 1/2 वादी एवं हि0 1/2 प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है। उक्त भमि वादी प्रतिवादी सं0 1 की सहखातेदारी भूमि है। जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। पक्षकारान के हिस्से व कब्जेकाश्त एवं संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते को ध्यान में रखते हुये सरस—नरस के आधार पर तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग—अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते दिनांक 12.06.2018 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों को कुर्रेजात पर समझाईश की। वकील उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी कर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के हिस्सानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला—जयपुर

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
ाम पुत्र गंगाराम हि0 1/2, लाली देवी पत्नि छोटूराम 1/2 जाति मीणा सा0 छापर खातेदार	292 293 294 295 296	0.12 0.49 0.18 0.18 0.33	चाही 4	—
योग	किता 5	1.30	—	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
ाम पुत्र गंगाराम जाति मीणा सा0छापर खातेदार	292 293/1	0.12 0.45	चाही4	—
योग	किता 2	0.57	—	—
ी देवी पत्नि छोटूराम जाति मीणा सा0 छापर दार	294/1 295/1 296/1	0.12 0.14 0.31	चाही4	—
योग	किता 3	0.57	—	—
लाती	293/2 296/2 294/2 295/2	0.04 0.02 0.06 0.04	चाही4	—
योग	किता 4	0.16	—	—

विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग—अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं ाण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ात किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

आज दिनांक 05/09/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला—जयपुर